



2026:AHC:43195

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट सी संख्या - 6556/2026

दुर्गावती

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद हामिद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य अधिशासी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार, राज्य-प्रतिवादियों के लिए शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यहां पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को नोटिस देकर तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी पक्षकार इस आदेश से व्यथित/पीड़ित होता/होती है तो उसका/उसके आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील लालगंज, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वह केस संख्या आरएसटी/1556/2025 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी202515060401556) में दायर पुनर्स्थापना आवेदन दिनांक 24.06.2025 का शीघ्रतापूर्वक निर्णय करे।

4. यह मामला काफी समय से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है और काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील लालगंज, आजमगढ़ को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह उपरोक्त मामले में दायर पुनर्स्थापना आवेदन का निर्णय विधि के **अनुसार कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक तथा यथासंभव प्रतिवादी संख्या के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर करे**, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”